SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Ravi Shankarji, please take note and do whatever is possible. He is a great personality. Now, Shri Brijlal.

Need for development of Kapilvastu, the birth place of Gautam Buddha

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश): चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कपिलवस्तु, जो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, के विकास की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, भारत-नेपाल सीमा पर कुछ खण्डहर थे। सन 1972 में पुरातत्व विभाग द्वारा उनकी खुदाई की गई थी और वहाँ पर एक स्तूप और महाराज शुद्धोदन का महल मिला था। सर, उस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ मिली थीं, जो कि इस समय भारत के संग्रहालय में रखी हुई हैं। यह स्थान नेपाल के लुंबिनी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान बुद्ध जन्मस्थली के रूप में भी सिद्ध हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1988 में इसे मूल जिले बस्ती से हटाकर इसका नाम जिला सिद्धार्थनगर रखा और assembly constituency का नाम कपिलवस्तु रखा। महोदय, में आपके माध्यम से वहाँ विकास की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वह खण्डहर हमारे लिए भगवान बुद्ध का प्रसाद है, हमारा भाग्य है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर सबसे पिछडा जिला है। अगर उस जिले का डेवलपमेंट हो जाए, तो वहाँ लोगों को रोज़ी-रोज़गार मिलेगा। वहाँ बुद्धिस्ट लोगों की बुद्ध भगवान में आस्था है। वहाँ पूरे देश से लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पास में ही श्रावस्ती और कृशीनगर हैं, उनका समृचित विकास भी हुआ है। सर, इन दोनों के बीच स्थित कपिलवस्तु प्रदेश के लिए, देश के लिए और विशेषकर हम लोगों के लिए खजाना साबित हुआ है। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। इस स्थान का विकास होना चाहिए। वहाँ पर हवाई पट्टी के लिए जगह छोड़ी गई है। वहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। सर, यह स्थान विकसित होना चाहिए, क्योंकि नेपाल में जो लुंबिनी है, वहाँ भी रहने की जगह नहीं है। यह सबसे suitable जगह होगी। वहाँ बस्ती मेन जगह है, जहाँ से रेलवे लाइन पास होती है। वहाँ रेलवे लाइन proposed है और अच्छी सड़क बन गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्थान

का विकास किया जाए। वहाँ हवाई अड्डे के लिए भी जगह है। वहाँ हवाई पट्टी बनाई जाए और सबसे महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का अस्थि कलश, जो कि संग्रहालय में रखा हुआ है, उसे पिपरहवा, किपलवस्तु में रखा जाए, जिससे वहाँ पर्यटक आकर्षित होंगे और हम लोग विकसित होंगे। इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, नमो बुद्धाय।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री दुष्यंत गौतम (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्क (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हैं। ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.) (हरियाणा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

Need for setting up of more Courts for fast track trial of offences against women and children

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. My submission is regarding the increasing incidences of rape and child sexual offences in our country. A couple of days before, we observed the International Women's Day. It is not that the Central Government and different State Governments are not taking any measures or any steps in this regard, but several Governments are taking different measures to contain this crime. I can proudly claim that my Government in Odisha, led by hon. Shri Naveen Patnaik, has been taking exemplary steps to get control over the situation. But, unfortunately, in spite of all the steps taken, these incidences of crime against women are increasing in this country. You know that according to the National Crime Records Bureau data, there has been, on an average, 87 rape cases every day in 2020, which is a 7 per cent rise in the crime against women that happened in 2019. In 2019 alone, overall 4,05,861 cases of crime against women had been reported. These are all reported cases. There are many cases which are not being reported because people and concerned families are very much concerned about their social prestige and social stigma. Therefore, many cases are not being reported in the Police Stations or before the authorities concerned. As is reported by the NCRB, the total number of child pornography and child rape incidences is 13,244 from March, 2020 to September, 2020, within six months' time. These are the reported cases. A couple of years before, there was Nirbhaya case in this country and the whole nation was rocked. After that, this Parliament enacted this POCSO Act. As per the provisions of POCSO Act, in such cases, FIR should be registered quickly and trial should be completed within six months. That is the provision of the Act. For that, there is a provision of setting up of Fast Track Courts in all the districts of the country. But, unfortunately, in many of the districts of the country, Fast Track Courts are yet to be set up. Therefore, many cases are pending for a longer time in the respective Courts. Therefore, my appeal to the Central Government is to ask the respective High Courts and the respective State Governments to set up Fast Track Courts as quickly as possible wherever no Fast Track Courts have been set up so far. A sufficient number of Fast Track Courts should be set up under the POCSO Act so that speedy trial can take place and the guilty can be taken to task.